भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1198
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में यौन उत्पीड़न

1198. श्री मारगनी भरत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय न्यायालय परिसरों से रिपोर्ट किए गए कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं का सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) दर्ज किए गए उक्त मामलों/शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में न्यायालय परिसरों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी,नहीं ।

(ख) से (ङ) : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 यह अनिवार्य करता है कि कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी पीड़ित महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत को दूर करने के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" के रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन करेगा।" महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2(ण) के अनुसार "कार्यस्थल" से ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उधम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है; अभिप्रेत है।" तदनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय, विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए नामनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं।

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण न्यायालय परिसरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा सहित उपाय प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से शामिल है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के साथ-साथ लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) का विधिवत गठन किया है।

पिछले एक वर्ष में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा लैंगिक उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कई प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय में प्रतिनियुक्त दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम; अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम; रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता पर कार्यशाला; उच्चतम न्यायालय में विधि लिपिक सह-अनुसंधान सहयोगियों, अनुसंधान सहायकों, विधि अनुसंधानकर्ताओं और विधि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम; उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री के कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के लिंग संवेदनशीलता और लैंगिक उत्पीड़न का प्रशिक्षण।

न्याय विभाग में इस संबंध में फाइल किए गए मामलों की संख्या के संबंध में जानकारी एकत्र नहीं की जाती है और न ही बनाए रखी जाती है क्योंकि भारत का उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं।

****